प्रेस-विज्ञप्ति

प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड अभियान हेतु दीव जिला समाहर्ता श्रीमती सलोनी राय ने की प्रेसवार्ता

केन्द्र सरकार के इस अभियान के अमलीकरण की दी विस्तृत जानकारी

दीव 13 फरवरी, 2020: दीव जिला समाहर्ता श्रीमती सलोनी राय ने समाहर्तालय सभागार में प्रेस-वार्ता कर प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड अभियान की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने इस अभियान को 8 फरवरी से 23 फरवरी तक 15 दिनों के लिए चलाये जाने का निर्देश दिया है। इसके तहत सभी लाभार्थी किसानों को प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाना है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड के लिए दीव जिले के बैंक अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर अतिशीघ्र लाभार्थियों को क्रेडिट कार्ड जारी करेंगे। इसके लिए किसानों को एक पेज का एक फार्म भरना होगा और जमीन तथा फसल से संबंधित जानकारी प्रदान करनी होगी। इसके उपरांत समस्त तथ्यों की जांच कर संबंधित बैंक किसान क्रेडिट कार्ड समय-सीमा के भीतर जारी करेंगे। श्रीमती सलोनी राय ने जानकारी देते हुए बताया कि दीव जिले में कुल 192 लाभार्थियों को चिन्हित किया गया है। उन्हें 23 फरवरी तक चलाये जाने वाले अभियान के दौरान अपने आवेदन पत्र जमा करने होंगे, ताकि समय-सीमा के भीतर उन्हें प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जा सके।

दीव जिला समाहर्ता ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को बहुत लाभ होगा। इस क्रेडिट कार्ड से उन्हें 3 लाख तक की क्रेडिट मिलेगी और इसपर किसी भी प्रकार का सेवा-शुल्क देय नहीं होगा। भारत सरकार ने किसानों के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराये जाने का प्रावधान किया है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये किसानों को मिलने वाला ऋण स्वत: अनुमोदित है और इसकी मंजूरी बैंकों द्वारा दी जाएगी। जिला समाहर्ता ने आगे बताते हुए कहा कि किसानों को ज्वार और बाजरे की फसल पैदा करने के लिए जहां पहले 10 हजार रूपये का ऋण मिलता था वहीं अब इसके लिए 40 हजार ऋण उपलब्ध कराये जाएंगे।

जिला समाहर्ता श्रीमती सलोनी राय ने दीव जिले के बैंकों, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, म्त्स्योद्योग विभाग एवं पंचायतों और ग्रामीण विकास कार्यालय को स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि वे इस अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे और एक भी लाभार्थी इस क्रेडिट कार्ड से वंचित नहीं रहना चाहिए। इस क्रेडिट कार्ड को प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र सभी बैंकों में उपलब्ध हैं, कोई भी किसान बैंक से आवेदन प्रपत्र लेकर उसे भरकर जमा कर सकता है। उन्होंने बताया कि दीव एक छोटा-सा प्रदेश है, अत: इस अभियान को अतिशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए, ताकि इस सुविधा का लाभ प्रत्येक किसान को मिले। कृषि विभाग दीव के लाभार्थियों की सूची बैंकों को मुहैया करवाएगा। इस अवसर पर सहायक कृषि अधिकारी ने बताया कि बुचरवाड़ा और वणाकबारा स्थित बैंकों को ज्यादा सक्रिय रहना होगा, क्योंकि इस विस्तार में सबसे ज्यादा किसान रहते हैं।